

धारा-90. अन्य विधि की अपेक्षा अध्याय के उपबन्धों का अभिभावी होना.- इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य अधिनियमित में किसी विपरीत बल के होते हुए भी इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे।